प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2023

2. प्र.सू.रि.सं........ ......161/2023 दिनांक ...24/6/2023

3.–(1) अधिनियम भ्र0नि0 अधि0 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें .... 7...........

(2) अधिनियम.............................. धारायें ....

(3) अधिनियम........................ धारायें......................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............385..........समय.........4:40 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन :– शुकवार, दिनांक 23.06.2023, समय 1:35 पी0एम0

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 22.06.2023, समय 1:30 पी0एम0

4. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5.–घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण पश्चिम 55 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से

(ब) पता– शिव सदन भासू हाउस के बाहर केकडी रोड ....बीट सं....जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला................

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ)—नाम :– **सीताराम माली पुत्र श्री सुज्याराम जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोक (राज.) मो. न. 9928417048**

(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय

(स).–पासपोर्ट संख्या..........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.

(द).–व्यवसाय :– खेती ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री भैरूलाल पुत्र श्री रोडूराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी पथराज कलां थाना मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल हल्का पटवारी दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

8.– परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 16000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 16,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सीताराम माली पुत्र श्री सुज्याराम जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोक का रहने वाला हुं। ग्राम टोपा में मेरी बहिन श्रीमति मनभर देवी पुत्री सुज्या पत्नि श्री गोकुल सैनी निवासी टोडारायसिंह के खातेदारी खसरा सं. 365 / 17 खाता संख्या 65 रकबा 0.15 हैक्टीयर भूमी है। जिस पर मैं व मेरा बडा भाई दामोदर माली खेती वाडी व सार–सम्भाल करता हुं। दिनांक 15.06.2023 को मेरी बहिन मनभर देवी ने उपरोक्त खसरा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र मेरे मार्फत तहसील टोडारायसिंह में लगाया था। जिस पर दिनांक

16.06.2023 को तहसीलदार साहब ने उपरोक्त खसरा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का आदेश पटवारी श्री भैरूलाल जाट पटवार हल्का टोपा तहसील टोडारायसिह के नाम किया था तथा आदेश की एक प्रति मुझे दी थी। मैने आदेश की प्रति श्री भैरूलाल जाट पटवारी साहब को दी थी। मैने पटवारी साहब से उपरोक्त जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु कहॉ तो पटवारी जी ने कहॉ कि 20000 रूपये लगेगे। मैने कहॉ कि 20000 रूपये किस बात के लगेगे तो कहने लगे कि यह तो लगते ही है और पटवारी साहब ने कहॉ कि जब तेरे पास 20000 रूपये का इंतजाम हो जाये तब आ जाना। तब ही तेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करूगॉ। मैने यह बात मेरे बडे भाई दामोदर माली को बताया तो उन्होने कहॉ कि पटवारी साहब रिश्वत मॉग रहे है तो मैने कहॉ कि इसकी ए.सी.बी. में शिकायत करेगे। मेरा भाई दामोदर माली मुझे तहसील टोडारायसिंह के बाहर मिलेगा। हम दोनो जाकर पटवारी साहब से मिलेगे। मैं अपने जायज काम के बदले श्री भैरूलाल जाट पटवारी पटवार हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी श्री भैरूलाल पटवारी साहब तहसील टोडारायसिंह जिला टोक से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

सीताराम माली पुत्र श्री सुज्यारास जाति
माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी,
टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह
जिला टोक मो. न. 9928417048

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक **22.06.2023 समय 1.30 पी.एम.** पर श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी सीताराम माली पुत्र श्री सुज्यारास जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोक (राज.) से आपस में परिचय करवाते हुये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देते हुये, अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी श्री सीताराम माली द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मैं सीताराम माली पुत्र श्री सुज्यारास जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोक का रहने वाला हुँ। ग्राम टोपा में मेरी बहिन श्रीमति मनभर देवी पुत्री सुज्या पत्नि श्री गोकुल सैनी निवासी टोडारायसिंह के खातेदारी खसरा सं. 365/17 खाता संख्या 65 रकबा 0.15 हैक्टीयर भूमी है। जिस पर मैं व मेरा बडा भाई दामोदर माली खेती बाडी व सार–सम्भाल करता हुँ। दिनांक 15.06.2023 को मेरी बहिन मनभर देवी ने उपरोक्त खसरा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र मेरे मार्फत तहसील टोडारायसिंह में लगाया था। जिस पर दिनांक 16.06.2023 को तहसीलदार साहब ने उपरोक्त खसरा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का आदेश पटवारी श्री भैरूलाल जाट पटवार हल्का टोपा तहसील टोडारायसिह के नाम किया था तथा आदेश की एक प्रति मुझे दी थी। मैने आदेश की प्रति श्री भैरूलाल जाट पटवारी साहब को दी थी। मैने पटवारी साहब से उपरोक्त जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने हेतु कहॉ तो पटवारी जी ने कहॉ कि 20000 रूपये लगेगे। मैने कहॉ कि 20000 रूपये किस बात के लगेगे तो कहने लगे कि यह तो लगते ही है और पटवारी साहब ने कहॉ कि जब तेरे पास 20000 रूपये का इंतजाम हो जाये तब आ जाना। तब ही तेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करूगॉ। मैने यह बात मेरे बडे भाई दामोदर माली को बताया तो उन्होने कहॉ कि पटवारी साहब रिश्वत मॉग रहे है तो मैने कहॉ कि इसकी ए.सी.बी. में शिकायत करेगे। मेरा भाई दामोदर माली मुझे तहसील टोडारायसिंह के बाहर मिलेगा। हम दोनो जाकर पटवारी साहब से मिलेगे। मैं अपने जायज काम के बदले श्री भैरूलाल जाट पटवारी पटवार हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी श्री भैरूलाल जाट पटवारी साहब तहसील टोडारायसिंह जिला टोक से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। प्रार्थना पत्र परिवादी श्री सीताराम माली को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद

परिवादी पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरी बहिन मनभर बाई के खातेदारी खसरा सं. 365/17 खाता संख्या 65 रकबा 0.15 हैक्टीयर भूमी ग्राम टोपा में स्थित है। जिस पर होने वाली फसल को मैं, व मेरे तीन भाई श्री गंगाराम माली, श्री छोटूराम माली व श्री दामोदर माली आपस में बंटवारा करते है। उक्त भूमी पर हम चारो भाई मिलकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने चाहते है। जिस कारण मेरी बहिन ने मेरे मार्फत सीमाज्ञान व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब टोडारायसिंह को दिया था। जिस पर तहसीलदार साहब ने हमारे हल्का पटवारी श्री भैरूलाल जाट पटवारी को आदेश दिये थे लेकिन पटवारी साहब उपरोक्त जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की एवज में 20000 रूपये की रिश्वत मांग रहे है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र हस्तलिखित होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड एवं खसरा सं. 365/17 खाता संख्या 65 रकबा 0.15 हैक्टीयर भूमी की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रकियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 2.05 पी.एम. पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं व मेरा बडा भाई श्री दामोदर माली आज ही श्री भैरूलाल जाट पटवारी पटवार हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक से मिलकर हमारी खसरा सं. 365/17 खाता संख्या 65 रकबा 0.15 हैक्टीयर भूमी ग्राम टोपा के सीमाज्ञान व पत्थरगढी के सम्बन्ध में बात करेगे तथा साथ ही उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की वार्ता भी कर लेगे। अतः श्री जलसिंह कानि. 248 को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादी एवं जलसिंह को समय 2.15 पी.एम. पर टोडारायसिंह अपनी–अपनी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। समय 6 पी.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 मय परिवादी श्री सीताराम माली के उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आये तथा श्री जलसिंह कानिस्टेबल ने वायस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपर्द किया। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं व जलसिंह जी कानिस्टेबल साहब आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना टोडारायसिंह से कुछ दूरी पर रूके जहॉ पर मेरा बडा भाई श्री दामोदर माली मिला। मैने अपने बडे भाई से श्री जलसिंह जी का परिचय करवाया था। मेरे भाई ने बताया कि श्री भैरूलाल जी पटवारी साहब अपने निजी ऑफिस में बैठे हुये है। फिर जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर चालू करके मुझे व मेरे भाई को श्री भैरूलाल जाट पटवारी साहब से बातचीत करने हेतु रवाना किया था। मैं व मेरा भाई दामोदर माली जलसिंह जी के पास से रवाना होकर श्री भैरूलाल पटवारी साहब के पास उनके ऑफिस में पहुॅचे तो वहॉ पर काफी व्यक्ति थे पटवारी साहब ने हमारी तरफ हाथ का ईशारा कर रूकने हेतु कहॉ। काफी देर रूकने के बाद मेरे भाई दामोदर माली ने पटवारी साहब से अपने काम के बारे में बातचीत की तो पटवारी साहब ने कहॉ कि तुम्हारा काम हो जायेगा लेकिन 16000 रूपये रिश्वत के देने पडेगे। कल रूपये लेकर आ जाना तुम्हारा काम हो जायेगा। फिर मै व मेरा भाई वहॉ से रवाना होकर जलसिंह जी के पास आ गये तथा मैने वायस रिकार्डर श्री जलसिंह जी को दिया था। जलसिंह जी ने वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया था। मैं जलसिंह जी ने पूरी बात बताई थी। फिर श्री जलसिंह जी ने आपके निर्देशानुसार मेरे भाई दामोदर माली को समझाईस कर घर भेज दिया था तथा मैं व जलसिंह जी रवाना होकर आपके पास आये है। मन पुलिस निरीक्षक ने कानि. जलसिंह से भी पूछा तो कानिस्टेबल ने परिवादी के कथनो की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. द्वारा पेश वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। इस प्रकार मांग सत्यापन की पुष्टि हो चुकी है। सरकारी वायस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 6.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सीताराम माली को मन पुलिस निरीक्षक ने समझाईस कर रिश्वति राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कल सुबह मैं व मेरा भाई दामोदर माली रिश्वति राशि लेकर आ जायेगे। परिवादी को उचित हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 23.06.2023 समय 9.50 ए.एम. पर परिवादी श्री सीताराम माली पुत्र श्री सुज्याराम जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, टोडारायसिंह पुलिस थाना टोडारायसिंह जिला टोक मय अपने भाई श्री दामोदर माली उर्फ दामाराम माली पुत्र श्री सुज्याराम जाति माली उम्र 42 साल निवासी टोपा कॉलोनी, ग्राम टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक के उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आये। समय 10.00 ए.एम. पर श्री महेश कुमार

कानि. 17 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय सहायक निदेशक राज्य प्रावधायी एवं निधी विभाग टोक के नाम पत्र जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 10.20 ए.एम. पर श्री महेश कुमार कानि. 17 हमराह कार्यालय सहायक निदेशक राज्य प्रावधायी एवं निधी विभाग टोक से दो स्वतंत्र गवाह 1. श्री बुद्विप्रकाश बेनीवाल पुत्र श्री नारायण लाल बेनीवाल जाति बैरवा उम्र 30 निवासी निवाई पुलिस थाना निवाई जिला टोक हाल कनिष्ठ कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग टोक मो0न0 8005760823 2.श्री महावीर पुत्र श्री गोपाल लाल जाति जाट उम्र 28 साल निवासी अरनिया निल पोस्ट महेन्दवास पुलिस थाना महेन्दवास तहसील व जिला टोक हाल कनिष्ठ कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग टोक मो0न0 9784319011 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो गवाहान का परिचय ब्यूरो जाकर स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी–अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश शुदा पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे गये सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वायस रिकार्डर को निकलवार स्वतंत्र गवाहान को मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। सरकारी वायस रिकार्डर को वापस सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा गया। समय 10.35 ए.एम. पर परिवादी सीताराम माली को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 32 नोट कुल 16 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लगवाया जाकर परिवादी सीताराम माली की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री बुद्विप्रकाश बेनीवाल से लिवाई जाकर कोई वस्तु नही छोडी गई। रिश्वती राशि परिवादी सीताराम माली के पहनी हुयी पेन्ट की दायी जेब में कोई शः नही छोडते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई तथा परिवादी को सिर पर साफी बाधकर रिश्वत लेन–देन का निर्धारित ईशारा करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुरतिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.05 ए0एम0 पर परिवादीगण श्री सीताराम माली व जलसिह कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता श्री मौ0जुनैद हैड कानि0 32, हनुमान प्रसाद हैड 74, श्री राजकुमार कानि0 160, श्री महेश कुमार कानि. 17, श्री अजीत सिंह कानि. 56, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, सहपरिवादी श्री दामोदर माली व गवाह श्री बुद्विप्रकाश बेनीवाल व श्री महावीर जाट मय तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, प्रिन्टर, वायस रिकार्डर को साथ लेकर मय प्राईवेट वाहनो से टोडारायसिंह को रवाना हुआ। श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 12.20 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पंचायत समिति टोडारायसिंह के पास पहुँचे जहॉ पर परिवादी सीताराम माली ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैने अपने स्तर पर जानकारी की तो श्री भैरूलाल पटवारी साहब शिव सदन भासू हाउस के सामने अपने निजी कार्यालय पर बैठे हुये है। इस पर श्री जलसिंह कानि. 248 से वायस रिकार्डर चालू करवाकर रिश्वत लेन–देन हेतु परिवादीगण को आरोपी भैरूलाल पटवारी के पास आरोपी के निजी कार्यालय रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये रिश्वति राशि लेन–देन निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 1.35 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 12:51 पी.एम. पर परिवादी श्री सीताराम माली ने अपने सिर पर साफी को बांधकर रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास बागवान ई–मित्र की दुकान के बाहर पहुंचे। जहां परिवादी ने वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द मन पुलिस निरीक्षक को सुपर्द किया। मन पुलिस निरीक्षक ने वायस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तभी परिवादी ने शिव सदन भासू हाउस की तरफ जाते हुये एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि वह भैरूलाल जाट पटवारी साहब है जिनको मन पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाप्ता की सहायता से शिव सदन भासू हाउस के बाहर केकडी रोड पर रोककर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का व हमराही जाप्ता का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री भैरूलाल पुत्र श्री रोडूराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी पथराज कलां थाना मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल हल्का पटवारी दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक होना बताया। आरोपी से परिवादी श्री सीताराम माली से ली गयी रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो

बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नही ली। मेरे पास कोई रिश्वत राशि नही है। तभी परिवादी सीताराम माली ने बताया कि मैं व मेरा भाई दामोदर माली अभी पटवारी श्री भैरूलाल जाट से उनके निजी कार्यालय शिव सदन भासू हाउस के सामने, बागवान ई–मित्र के पास, केकडी रोड, टोडारायसिंह पर मिले थे। मैने व मेरे भाई ने पटवारी साहब से हमारी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के संबंध में वार्ता की थी। श्री भैरूलाल जाट पटवारी जी के रिश्वत राशि मांगने पर मैंने 16,000 रूपये रिश्वत राशि देने के लिए हाथ बढाया तो पटवारी जी ने उनकी टेबल पर पडे रजिस्टर को खोला और उसमें रिश्वती राशि रखने हेतु कहा जिस पर मैंने उनको रिश्वती राशि गिनने हेतु कहा तो पटवारी जी ने कहा कि गिन रखी है, तु इसमें रख दे। मैंने पटवारी के कहे अनुसार उनकी टेबल पर पडे रजिस्टर के बीच में रिश्वती राशि रख दी थी। पटवारी साहब ने रजिस्टर को बंद करके अपनी टेबल के नीचे रख दिया था। फिर मैंने बाहर आकर आपको रिश्वती राशि प्राप्ति का ईशारा किया था। आरोपी भैरूलाल जाट की निगरानी हेतु श्री हनुमान प्रसाद हैड कानिस्टेबल नं. 74 मय हमराही जाप्ता को उचित हिदायत देकर मौके पर छोडा गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान सर्व श्री मोहम्मद जुनैद हैडकानि. नं. 32, श्री जलसिंह कानि.नं. 248 मय स्वतंत्र गवाह श्री महावीर जाट, बुद्धिप्रकाश बेनीवाल के रवाना होकर आरोपी के निजी कार्यालय पहुँचा तो श्री भैरूलाल जाट पटवारी का निजी कार्यालय खुला हुआ था। कार्यालय में रखी टेबल के नीचे रखे रजिस्टर को स्वतंत्र गवाह श्री महावीर जाट से उठवाया गया तथा रजिस्टर का अवलोकन मन पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया तो रजिस्टर के उपर पी–35 पटवार मंडल दाबडदुंबा संवत 2073 लिखा हुआ है। रजिस्टर को स्वतंत्र गवाह श्री महावीर जाट से खुलवाया गया तो रजिस्टर के पेज नंबर 7 पर 500–500 रूपये नोट लिपटे हुए गड्डीनुमा पडे हुए मिले जिनको गवाह श्री महावीर जाट से उठवाया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से 500–500 रूपये के नोटों को गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 32 नोट कुल 16000/–रूपये मिले जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6ED	394199
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9FG	565429
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6KP	209554
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7NK	560506
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2AA	848321
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4HA	544479
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2DP	371598
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1GK	523403
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6DQ	192253
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3SC	811209
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0DD	290409
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6KH	833327
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5QN	980603
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5BD	282156
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1BD	290722
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3FW	782939
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2RK	953765
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8UV	728327
19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8CQ	505509
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4GE	653423
21.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4QD	615440
22.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5FK	648245
23.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7PH	748251
24.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2GD	248590
25.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2ES	874399
26.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2VA	993566
27.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9EN	851544
28.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6EP	174191

[redacted]

29.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7BM	466781
30.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6EW	526595
31.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3HQ	630768
32.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3CU	677061

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशि व रजिस्टर को गवाह श्री महावीर जाट के पास सुरक्षित रखवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर शिव सदन मासू हाउस के सामने रोड के सामने निगरानीशुदा आरोपी श्री भैरूलाल जाट पटवारी पटवार हल्का दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी टोपा के पास पहुंचकर मय आरोपी श्री भैरूलाल जाट मय हमराही जाप्ता को हमराह लेकर मय परिवादी के पुलिस थाना टोडारायसिंह पहुँचा। जहां पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को स्वतः बताया कि " **हमारी खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि जो गांव टोपा में स्थित है जो मेरी** बहन मनभर देवी **के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के लिए मेरी बहिन** मनभर देवी **ने मेरे मार्फत श्रीमान तहसीलदार साहब टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र पेश किया था। तहसीलदार** साहब **ने हल्का पटवारी टोपा को आदेशित किया था। मैं उक्त जमीन के सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु श्री** भैरूलाल जाट **पटवारी साहब से मिला तो उन्होंने मेरे से बीस हजार रूपये रिश्वत के मांगे। जिसकी शिकायत** मैंने कल दिनांक **22.06.23 को आपके पास की थी। कल दिनांक 22.06.23 को मैं व मेरा भाई दामोदर माली** पटवारी साहब **से मिला तो पटवारी साहब ने मेरी जमीन का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने की एवज में 16,000** रूपये **रिश्वत की मांग की। पटवारी साहब की मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.06.23 को मैं व मेरा भाई** दामोदर माली **दोनो पटवारी साहब से मिले तथा हमारी जमीन के सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु वार्ता की तथा** उनके कहे **अनुसार रिश्वती राशि को उनकी टेबल पर रखे रजिस्टर में रखी थी।**" आरोपी से पुनः तसल्ली देकर परिवादी से ली गयी रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो आरोपी रोने लगा और कहने लगा कि **"मैंने** सीताराम माली **से कोई रिश्वती राशि की मांग नही की। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं बर्बाद हो गया।** कल दिनांक **22.06.23 को सीताराम व उसका भाई दामोदर माली मेरे पास मेरे निजी कार्यालय पर आयें थे** जिन्होंने **टोपा गांव में स्थित इनकी खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढी** हेतु मेरे **से कहा था। आज दिनांक 23.06.23 को सीताराम माली व उसका भाई दामोदर माली आये थे जिन्होंने** मुझे सीमाज्ञान **व पत्थरगढी करने हेतु कहा था। सीताराम माली ने मेरे निजी कार्यालय की टेबिल पर पडे** पी–35 **पटवार मंडल दाबडदुंबा संवत 2073 में रूपये जबरन रख दिये मैंने सीताराम माली से कभी रिश्वत नही** मांगी **थी।** " आरोपी भैरूलाल जाट की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री बुद्धिप्रकाश बेनीवाल से लिवाई गई तो आरोपी की शर्ट की उपर की जेब से एक कागज मिला जिसे खोलकर देखा गया तो कार्यालय तहसीलदार (भू अ.) टोडारायसिंह जिला टोंक के पंत्राक 2915 दिनांक 15.06.2023 से प्रार्थीया मनभर देवी पुत्री श्री सुज्या माली खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 के सीमाज्ञान आदेश की प्रति होना पाया गया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया तथा एक मोबाईल रीयल मी कम्पनी बरंग मेटेलिक कलर का मिला। जिसमें एयरटेल कम्पनी नम्बर 9001929339 की सीम लगी हुयी है। जिसे बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क– "एम" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता की मदद से गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवृर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में श्री भैरूलाल जाट पटवारी पटवार हल्का टोपा के निजी कार्यालय में मिले पी–35 पटवार मंडल दाबडदुंबा संवत 2073 के पेज नम्बर 7 जहां से रिश्वती राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क सी–1, सी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रूई के पोहे को सुखाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क– "सी" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी की बहन श्रीमती मनभर देवी द्वारा तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय टोडारायसिंह को खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 के सीमाज्ञान व पत्थरगढी से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि.

नं0 32 को कार्यालय तहसीलदार टोडारायसिंह रवाना किया गया। दौराने ट्रैप कार्यवाही रजिस्टर पी–35 पटवार मंडल दाबडदुंबा संवत 2073 जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी है। रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो पेज नम्बर 01 से पेज नम्बर 18 तक इन्द्राज किये हुए है तथा शेष पन्ने खाली जिन पर पेज नम्बर अंकित नही है। रजिस्टर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क– "आर" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने पूर्व मे गवाह श्री महावीर जाट के पास रखवाई गई आरोपी के निजी कार्यालय में रखे रजिस्टर में से बरामद रिश्वती राशि 16000/–रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। श्री मोहम्मद हैड कानिस्टेबल नं. 32 ने तहसील कार्यालय टोडारायसिंह से परिवादी की बहन श्रीमती मनभर देवी द्वारा तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय टोडारायसिंह को खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 के सीमाज्ञान व पत्थरगढी से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां लाकर पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय 3.45 पी.एम. पर आरोपी श्री भैरूलाल जाट पटवारी हल्का दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री सीताराम माली की बहिन मनभर देवी के खातेदारी के **खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि जो गांव टोपा में स्थित है उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने की एवज मे दिनांक 22.06.23 को 16,000 रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 23.06.23 को आरोपी के कहे अनुसार परिवादी ने रिश्वती राशि 16000 रूपये आरोपी की निजी कार्यालय की टेबल पर रखे रजिस्टर के बीच में रखी**, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 4.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादीगण श्री सीताराम माली व श्री दामोदर माली व आरोपी श्री भैरूलाल जाट पटवारी के मध्य दिनांक 22.06.2023 को हुयी मॉग सत्यापन वार्ता व दिनांक 23.06.2023 को हुयी लेन–देन वार्ता जो सरकारी वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है, सरकारी वॉयस रिकार्डर की सहायता से हेडफोन लगाकर वांयस रिकार्डर को चालू कर सहकर्मी श्री मनमोहन पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल कुमावत जाति कुमावत उम्र–42 साल निवासी–गैरोली तह0 दूनी जिला टोक हाल गिरदावर हल्का भांसू तहसील टोडारायसिंह जिला टोक को सुनवाई गई तो सहकर्मी ने रिकोर्डर में रिर्कोडिंग वार्ता को गहनता से सुनकर एक आवाज आरोपी भैरूलाल जाट पटवारी के होने की पहचान की। फर्द पहचान आवाज आरोपी की पृथक से तैयार कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कि गई। समय 4.40 पीएम पर श्री जलसिंह कानि. 248 को मय परिवादीगण श्री सीताराम माली व श्री दामोदर माली के पुलिस थाना टोडारायसिंह उचित हिदायत देकर छोडा गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ, स्वतंत्र गवाह एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भैरूलाल जाट मय जब्तशुदा आर्टिकल्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स मय प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना टोडारायसिंह से ग्राम पथराज कला आरोपी के निवास स्थान की तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 5.10 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भैरूलाल जाट मय स्वतंत्र गवाहान व जब्तशुदा आर्टिकल्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स मय प्राईवेट वाहनो के ग्राम पथराज कला आरोपी के निवास स्थान पर पहुँचा। जहां पर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब की गई। समय 5.35 पी.एम. पर बाद खाना तलाशी मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना टोडारायसिंह के लिए रवाना हुआ। समय 6.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भैरूलाल जाट मय स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स मय प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना टोडारायसिंह पहुँचकर परिवादीगण श्री सीताराम माली व श्री दामोदर माली व श्री जलसिंह कानि. 248 को हमराह लेकर घटना स्थल थाना टोडारायसिंह के सामने केकडी रोड के लिये रवाना हुआ। समय 6.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के घटनास्थल थाना टोडारायसिंह के सामने केकडी रोड (शिव सदन भासू हाउस के सामने रोड) पर पहुंचा एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 6.50 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भैरूलाल जाट मय परिवादीगण मय स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेपबॉक्स मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिये रवाना हुआ। समय 8.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के एसीबी चौकी टोंक पहुचां, अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। समय 8.40 पीएम पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.06.2023 से सम्बंधित डिजीटल वॉयस

रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवाया जाकर वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादीगण व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयों में राईट किया गया। जिसमें से 2 सीडियॉ न्यायालय व आरोपी हेतु पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क ए–1, ए–2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। इसी बीच आरोपी को खाना खिलवाया गया एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षार्थ कोतवाली छुड़वाया गया। समय 10.15 पी.एम. पर दिनांक 23.06.2023 रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी श्री सीताराम माली व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयों में राईट किया गया। जिसमें से 2 सीडियॉ न्यायालय व आरोपी हेतु पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क बी–1, बी–2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 11.30 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16–16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम–1"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया समय 11.50 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाकामी सील मुर्तिब की गई एवं समय 12.15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 24.06.23 समय 12.25 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क सी–1, सी–2, सिल्डशुदा रिश्वती राशि 16000 रूपये मार्क **एन**, रूई के पोहे का शील्डशुदा पैकेट मार्क "सी" रिश्वति राशि बरामदगी रजिस्टर का शील्डशुदा पैकेट मार्क "आर", मोबाईल का पैकेट मार्क **एम**, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता की सिल्डशुदा सीडीयां मार्क ए–1, ए–2 तथा बी–1, बी–2 एवं वार्ताओं से सम्बंधित 2 मूल मैमोरी कार्ड के सिल्ड पैकेट मार्क **एम–1** को बतौर वजह सबूत जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि032 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 12.40 ए.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी **श्री भैरूलाल पुत्र श्री रोडूराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी पथराज कलां थाना मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल हल्का पटवारी दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री सीताराम माली की बहिन मनभर देवी के खातेदारी के खसरा नम्बर 365/17 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि जो गांव टोपा में स्थित है उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने की एवज मे दिनांक 22.06.23 को 16,000 रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में दिनांक 23.06.23 को आरोपी के कहे अनुसार परिवादी ने रिश्वती राशि 16000 रूपये आरोपी की निजी कार्यालय की टेबल पर रखे रजिस्टर के पास में रखी, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी।** आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः उक्त आरोपी **श्री भैरूलाल पुत्र श्री रोडूराम जाति जाट उम्र 36 साल निवासी पथराज कलां थाना मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक हाल हल्का पटवारी दाबडदुंबा अतिरिक्त चार्ज हल्का टोपा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक** के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(नरेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी, पटवार हल्का दाबडदुंबा, अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी टोपा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 161/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.6.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1210-13 दिनांक 24.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, टोंक।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

24.6.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।